

कायालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा

शासनादेश संख्या 7/4/71 का दिनांक 20 मई 1978 के अनुरूप

विकलांग प्रमाण-पत्र

क्रमांक सं०

02/4307/23-05-2012

दिनांक-23-05-2012

प्रमाणित किया जाता है कि कु०/श्री/श्रीमती अर्चना देवी

उम्र लगभग 20 वर्ष आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री रमेश चन्द्र

निवासी हानी खुर्द तहसील चरखाही जिला महोबा

(उ०प्र०), जिनका दा०नि०अ०/बा०नि०अ० नीचे प्रमाणित है।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इससे पूर्व मेरा विकलांग प्रमाण पत्र कहीं से निर्गत नहीं हुआ है। निर्गत हुआ है जिसकी छायाप्रति/मूलप्रति साथ में संलग्न है। मैं मूल रूप से जनपद महोबा का निवासी हूँ। यह प्रमाण पत्र कानूनी रूप से विधिमान्य नहीं होगा।

अर्चना देवी

हस्ताक्षर आवेदक

बायें/दायें अंगूठे का निशान

राशन कार्ड नं०-046575

प्रमाणित किया जाता है कि सावधानी पूर्वक निरीक्षण उपरान्त कि कु०/श्री/श्रीमती Archana Devi

P.P.R.P. Left lower limb with disability of Mueled

रोग से ग्रसित हैं।

विकलांग का प्रतिशत 50% (afiffy)

ये भी प्रमाणित किया जाता है कि ये समाज के विकलांग व्यक्ति हैं।

प्रार्थी के अंगूठा निशान दायां/बायां



Rt 2 of Archana

Amey

23/05/12

पहचान चिन्ह -

Black mole on eye

हस्ताक्षर (M) Side of neck

नेत्र रोग विशेषज्ञ

हस्ताक्षर

आर्थोपेडिक सर्जन Amey

23/05/12

हस्ताक्षर

ई०एन०टी० सर्जन



23/05/12  
हस्ताक्षर  
देवी (उ०प्र०)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
महोबा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
जनपद-महोबा (उ०प्र०)